भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 718

जिसका उत्तर 02 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

तमिलनाडु के तंजावुर में भू-जल

718. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु के तंजावुर जिले में भू-जल संदूषण की स्थिति क्या है;

(ख) इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने एकल उपयोग और गैर-जैव अपघटनीय प्लास्टिक के भू-जल पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए कोई समिति गठित की है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) तमिलनाडु सहित पूरे देश में अपने भू-जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के भाग के रूप में और साथ ही साथ विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के दौरान भी भूमि जल गुणवत्ता संबंधी आंकडे तैयार करता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान तमिलनाडु के तंजावुर जिले से एकत्र और विश्लेषित किए गए भूजल नमूनों के माध्यम से यह पाया गया है कि नाइट्रेट (तेरह नमूनों में से दो में अनुमेय सीमा से अधिक) को छोड़कर, अन्य सभी पैरामीटर जैसे विद्युत चालकता, समग्र शुष्कता नाइट्रेट, फ्लोराइड, यूरेनियम इत्यादि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) 10500:2012 में पेजयजल गुणवत्ता संबंधी निर्दिष्ट मानदंडों की अनुमेय सीमा के भीतर थे।

(ख): जल राज्य का विषय होने के कारण, भूजल गुणवत्ता सहित इसके प्रबंधन संबंधी पहल करना मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है; तथापि, देश में भूजल संदूषण को रोकने और नागरिकों को सुरक्षित गुणवत्तायुक्त जल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जैसे

i. भारत सरकार 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों आबंटित करने के दौरान रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित आवासों में रहने वाली आबादी को 10% वरीयता प्रदान की जाती है।

ii. चूंकि, एक सुरक्षित जल स्रोत आधारित पाइप जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन और प्रारंभ करने में समय लग सकता है, अत: विशुद्ध रूप से एक अंतरिम उपाय के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में उनकी पीने और खाना पकाने की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) की दर से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करें।

iii. विभिन्न हितधारकों के उपयोग किए जाने हेतु सीजीडब्ल्यूबी के पास मौजूद भूजल गुणवत्ता संबंधी आकंडों को रिपोर्टों के साथ-साथ वेब साइट (http://www.cgwb.gov.in) के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराया गया है। आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों के साथ इन आंकड़ों को साझा भी किया जाता है।

Iv. जल प्रदूषण को रोकने और उसे नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड (सीपीसीबी) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एसपीसीबी/पीसीसी) के सहयोग से जल (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू कर रहा है।

(ग) और (घ): जैसा कि अवगत है कि एकल उपयोग और गैर-जैव अपघटीय प्लास्टिक जैसे तत्व भूजल में मिल सकते हैं और संभावित रूप से विभिन्न प्रतिकूल प्रभावों जैसे विषाक्त पदार्थ मिट्टी में छोड़ना, मानव और अन्य जीवों में सूक्ष्म प्लास्टिक कणों के रूप में प्रवेश करना और स्वास्थ्य संबंधी खतरों आदि का कारण बन सकते हैं। हालांकि, भूजल और पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव को पूरी तरह से समझने के लिए और अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। एकल उपयोग और गैर- जैव अपघटीय प्लास्टिक के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं: -

i. स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के अंतर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में कमी और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीएमडब्लयू) नियमों के अनुपालन पर विशेष जोर दिया जाता है। एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में प्राथमिकता वाले

मुख्य क्षेत्रों में कचरे के स्रोतों का वर्गीकरण; अलग-अलग संग्रहण और परिवहन; अलग-अलग कचरे का अलग प्रसंस्करण; सभी यूएलबी में मैटिरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) की स्थापना; (ii) एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) के उपयोग में कमी और वैकल्पिक उत्पादों के उपयोग हेतु सतत जागरूकता सृजित करना शामिल है।

ii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया है, जिसमें 1 जुलाई, 2022 से कम उपयोगिता वाली और अधिक अपशिष्ट क्षमता वाली प्लास्टिक के रूप में पहचान की गई एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

iii. सभी छत्तीस राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने पहचान की गई एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं और प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के उन्मूलन हेतु मुख्य सचिव / प्रशासक की अध्यक्षता में एक विशेष कार्य बल का गठन किया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्र स्तरीय कार्यबल भी गठित किया गया है।

iv. पहचान की गई एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध रूप से बंद करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत ई-कॉमर्स कंपनियों, प्रमुख एकल उपयोग प्लास्टिक विक्रेताओं/उपयोगकर्ताओं और प्लास्टिक के कच्चे माल के निर्माताओं को निर्देश जारी किए गए हैं।

******